कार्यालय जोधपुर नगर निगम,जोधपुर

क्रमांक :– 531

दिनांक :– 13/5/13

–:: हस्तान्तरण आदेश ::–

नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 46, सेक्टर ए, ऑटो मोबाईल योजना, प्रताप नगर, जोधपुर का आंवटन दिनांक 14.04.1969 को श्री सखी मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद के नाम जरिये लॉटरी आवंटन ,कर लाईसेन्स एशियाटीक ऑटो वर्क्स के नाम जरिये मालिक श्री सखी मोहम्मद के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात श्री सखी मोहम्मद ने अपने जीवनकाल में उक्त भूखण्ड का दो भागो में विभक्त कर आधा हिस्सा श्री मोहम्मद हनीफ को व आधा हिस्सा कनकराज को अलग अलग जरिये इकरारनामें के दिनांक 02.11.1973 को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात रजिस्टर्ड आम मुख्त्यारनामा सम्पूर्ण भूखण्ड का श्री मदनराज मेहता पुत्र लाल चन्द ओसवाल के नाम दिनांक 02.11.1974 को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्री मोहम्मद हनीफ व श्री कनकराज एवं आम मुख्त्यार श्री मदनराज मेंहता ने सयुक्त बैचान जरिये इकरारनामा दिनांक 04.11.1978 को श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी पुत्र श्री पुनमचन्द सोलंकी के हक में निष्पादित कर दिया। पूर्व में उक्त भूखण्ड की लीज डीड जारी करने हेतु श्री जावेद पुत्र स्व. श्री सखी मोहम्मद एवं सखी मोहम्मद के सभी वारिसानो द्वारा जावेद के हक में सहमति पत्र पेश कर लीज डीड जारी करने हेतु दिनांक 23.7.2012 को नगर निगम मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे जावेद द्वारा उज्जरदारी सूचना का प्रकाशन दिनांक 26.07.2012 को प्रकाशित करवाई जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा एतराज प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी पुत्र श्री पुनमचन्द सोलंकी ने उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण कर लीज डीड जारी करने की मांग हेतु आवेदन पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 25.03.2013 को श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर पत्र के साथ श्री जावेद पुत्र स्व. सखी मोहम्मद द्वारा दिया गया शपथ पत्र दिनांक 22.03.2013 का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें नगर निगम मे आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी जानकारी मुझे नही थी कि उक्त भूखण्ड का बैचान मेरे पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर दिया अब उक्त भूखण्ड मेरे व मेरे परिवार के सदस्यों का कोई मालिकाना हक, हिस्सा व अधिकार नही है और पूर्व में किये गये आवेदन को भी निरस्त करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी पुत्र श्री पुनमचन्द सोलंकी द्वारा उक्त भूखण्ड की उज्जरदारी सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 30.03.2013 को प्रकाशित करवाया जिसमें बाद म्याद किसी प्रकार का उज्जरऐतराज प्राप्त नही हुआ। प्रार्थी द्वारा नाम हस्तान्तरण शुल्क स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 7(ड़) भूमि/अभि./12/डीएलबी/2013/2885 दिनांक 25.02.2013 के आधार पर रूपये 10833/– जरिये रसीद संख्या 9012/7033 दिनांक 13.05.2013 को निगम कोष में जमा करवा दिये गये। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी पुत्र श्री पुनमचन्द सोलंकी के हक में करने की सहमति प्रदान की जाती है। भविष्य में स्वामित्व सम्बंधी विवाद होने पर आदेश शुन्य मान्य होगा। रेकर्ड में आवश्यक संशोधन कर दिया जावे।

13/5/13

आयुक्त (राजस्व)
जोधपुर नगर निगम
दिनांक :– 13/5/2013

क्रमांक :– 531
प्रतिलिपी :–

01. श्री राजेन्द कुमार सोलंकी पुत्र श्री पुनमचन्द सोलंकी ।
02. ओसवाल डाटा प्रोसेस, नगर निगम,जोधपुर ।
03. रक्षित पत्रावली ।

13/5/13

आयुक्त (राजस्व)
जोधपुर नगर निगम